रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938
No. 912] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

का.आ. 1421(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 2260(अ), तारीख 9 जुलाई, 2013 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन 8 जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि 8 जुलाई, 2015 को समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 2260(अ), तारीख 9 जुलाई, 2013 को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	नाम और संपर्क ब्यौरे	पदनाम
1.	सरकार के विशेष मुख्य सचिव, पर्यावरण वन विज्ञान और तकनीकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	अध्यक्ष

2.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद	सदस्य
6.	प्रोफेसर ए. सी. नारायण, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय, गाचीबाउली, हैदराबाद-46	सदस्य
7.	प्रोफेसर एन. सोमेश्वर राव, सेवामुक्त प्रोफेसर, विश्लेषण और अकार्बनिक रसायन विभाग, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, वालटेयर, विशाखापटनम-530003	सदस्य
8.	डा. ऐरीबाबू, जीव विज्ञान और समुद्री जीव संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापटनम- 530003	सदस्य
9.	डा. एल. सूरी नायडू, तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद-7	सदस्य
10.	डा. बी. प्रभाकर राव, वैज्ञानिक-एफ (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, विशाखापटनम-530003	सदस्य
11.	धारित्री रक्षिता समिति, काकीनाड़ा, गैर सरकारी संगठन	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की समीक्षा करना और तटीय विनियमन जोन के दृष्टिकोण से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित हैं;

(ख) (i) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के ऐसे उपबंधों, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हैं, के अभिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश, यथास्थिति राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उस मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं हैं ;

(ii) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के ऐसे उपबंधों का, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है, उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया

जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए भेजना :

परंतु इस उप-पैरा के उपरोक्त खंड (i) और खंड (ii) के अधीन मामलों को स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या किसी प्रतिनिधी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर ले सकेगा;

(ग) उपरोक्त उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(घ) उपरोक्त उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करेगा जो उसको यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं या तटीय जनसंख्या संरक्षा आदि के विकास से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियों की व्यवस्था करेगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 6 और 7 के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी समीक्षा और उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, ऐसी सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो आंध्र प्रदेश की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित हैं ।

10. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी ।

12. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, वित्तपोषण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकरणों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता रखेगा ।

13. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण के पास इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट इसके कृत्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हैं ।

14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, जागरूकता, दिन-प्रतिदिन का कार्यकरण और समर्थन आदि सम्मिलित हैं, करेगा और उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को, जिसमें उसके लिए संसाधन, वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है, अंगीकृत करेगा ।

15. प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य में तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और उन्हें राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कार्यकरण का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

17. प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन या अननुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

18. वेतन और भत्ते जैसे- यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, आसीन होने संबंधी फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार होंगे ।

19. प्राधिकरण, जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों के दौरान सदस्य के रूप में अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करेगा ।

20. प्राधिकरण के विस्तार-क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आने वाले किसी मामले पर संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

21. प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के लिए उसे प्राप्त हुए, उसको निर्दिष्ट हुए या उसके समक्ष रखे गए सभी मामलों, प्रस्तावों पर कार्यवाही करेगा ।

22. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां प्राधिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों की दशा में, ऐसे निदेशों को जारी किए जाने के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करने वाली रिपोर्ट और उनकी प्रास्थिति सहित प्राधिकरण के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखी जाएगी ।

23. प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट बनाकर रखे और कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, समाशोधन पत्रों, उल्लंघनों तथा उल्लंघन और न्यायालय संबंधी मामलों, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश

भी हैं, पर की गई कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजनाओं को वेबसाइट पर रखे ।

24. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

25. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा ।

[फा. सं. जे-17011/27/99(पीटी)-आईए.III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the13th April, 2016

S.O. 1421(E).—Whereas, by an order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.2260(E), dated the 9th July, 2013, the Central Government constituted the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority for a period up to the 8th July, 2015 and the term of the said Authority has expired on 8th July, 2015;

And whereas, the Central Government is of the view that such Authority be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.2260 (E), dated the 9th July, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Sl. No.	Name and contact details	Designation
1.	The Special Chief Secretary to Government, Environment, Forest, Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Chairman
2.	The Principal Secretary, Department of Revenue (Disaster Management), Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member
3.	The Principal Secretary, Fisheries Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member
4.	The Principal Secretary, Industries and Commerce Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member
5.	The Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad.	Member
6.	Prof. A.C. Narayana, Centre for Earth and Space Sciences, University of Hyderabad, Gachibowli, Hyderabad- 46.	Member
7.	Prof. N. Someswara Rao, Emeritus Professor, Department of Analytical and Inorganic Chemistry, Andhra University, Waltair, Visakhapatnam - 530 003.	Member
8.	Prof. D. Erribabu, Department of Zoology and Marine Living Resources, Andhra University, Visakhapatnam - 530 003.	Member
9.	Dr. L. Suri Naidu,Technical Officer, National Geophysical Research Institute, Hyderabad- 7.	Member
10.	Dr. B. Prabhakar Rao, Scientist - F (Retired), National Institute of Oceanography, Visakhapatnam - 530 003	Member

11.	Dharitri Rakshitha Samithi, Kakinada, Non Government Organisation	Member
12.	The Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board, Hyderabad	Member-Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Andhra Pradesh, namely:-

(a) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of Andhra Pradesh and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

(b) (i) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issue directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any directions issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government, as the case may be;

(ii) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (i) and (ii) above may be taken up *suo-motu* or on the basis of a complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(c) filing complaints under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under paragraphs (a) and (b) above;

(d) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from paragraphs (a) and (b) above.

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Andhra Pradesh, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, etc.

6. The Authority shall identify coastal areas, highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

7. The Authority shall identify critical stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

10. The Authority shall furnish report of its activities once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of the members present in the meeting.

12. The Authority shall maintain a bank account in a nationalised bank to deposit the funds or fees received from the State Government of Andhra Pradesh, funding agencies or project authorities, etc.

13. The State Government of Andhra Pradesh shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy, etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc, for the same.

15. The Authority shall prepare and submit maps of the coastal areas in the State falling under the Coastal Regulation Zone to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

16. The Authority shall regularly review the functioning of the District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, District Collector to ensure the compliance of provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and take suitable action in case of violations or non-compliance.

18. The pay and allowances such as the traveling allowance, dearness allowance, sitting fees, fees for field visit, etc, shall be as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

19. The Authority shall, whenever required, invite other experts as members during its meetings.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

21. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

22. The powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority, and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

23. To maintain transparency in working of the Authority, it shall be the responsibility of the Authority to maintain a website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on violations and court matters including the Orders of the Court and National Green Tribunal and approved Coastal Zone Management Plan of the State Government on the website.

24. The powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

25. The Authority shall have its headquarters at Hyderabad.

[F. No. J-17011/27/99 (pt)-IA.III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.